



रतलाम 22-05-2026

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



आंचलिक कार्यालय- सी-2, किप्रा विहार, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन फोन : 0734-2513606,
E-Mail- ujain.ARD@bankofindia.co.in

परिशिष्ट - IV क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

चल-अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसितियों के विक्रय हेतु ई - नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कच्चा कॉलम (नीचे वर्णित) बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित उधार लेने वाले प्रत्याभूति-दाता से बकाया राशि (संबद्ध कॉलम में नीचे वर्णित) की वसूली हेतु दिनांक 25.06.2026 (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः 11.00 से दोपहर 05.00 बजे तक बेचा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि संबंधित कॉलम में नीचे वर्णित है:

ई नीलामी दिनांक 25.06.2026, समय : सुबह 11 बजे से 05 बजे तक

क्र.	शुद्धी एवं संपत्ति प्राप्ति/जमानतदार का नाम अर्ज नोटिस, राशि दिनांक एवं कच्चा दिनांक	बंधक रखी संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता के नाम	आरक्षित मूल्य	सरोवर राशि
रतलाम शाखा, जिला रतलाम (म.प्र.) फोन - शाखा प्रमुख : 9425049567, E-Mail- ratlam.ujain@bankofindia.co.in (IFSC Code - BKID0009480, EMD जमा हेतु खाता क्र. 948090200000033 Collection Account)				
01	शुद्धी- मेसर्स सैयद अख्तर अली पार्सन- 1. श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, 2. श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, 3. श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, 4. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, 5. श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, जमानतदार - श्रीमती फिरोजा बी पति श्री अस्गर अली, श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 3,170.70 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक : 18.12.2025, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 23.02.2026	अचल संपत्ति संपत्तियों के सभी अंग जो स्थित है प. व. नं. 25, भूमि सर्वे नं. 186/1/1, 186/1 (वर्तमान 186/1/3, निर्मित मकान, गैरेज व ऑफिस), चतुःसीमा सर्वे नंबर 186/1/3-पूर्व में: ईमदाद थोरानी, मासिद खान व अन्य की कृषि भूमि, पश्चिम में: समान सर्वे नं. की शेष भूमि, उत्तर में: नाला व अहमद जमात की कृषि भूमि, दक्षिण में: शेरानिया दारुलतुलाम की भूमि	22.95 करोड़	2.30 करोड़
02	शुद्धी- मेसर्स सी. आर. कंठूरचरण प्रोपा. 1. श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 5,16.01 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 19.12.2025, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 23.02.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 02- 232/1, 232/2, 232/3, 232/4 एवं 232/5 (ओपन प्लॉट), पुराना जावर बाघपास रोड, प्रताप नगर के पास, कस्बा रतलाम, तहसील व जिला रतलाम, क्षेत्रफल : 6.38 हेक्टर चतुःसीमा सर्वे नंबर 232/1- पूर्व में: रहमत बी की कृषि भूमि, पश्चिम में: बंधीर बागेरा की कृषि भूमि, उत्तर में: असलत खान व मोहम्मद खान की कृषि भूमि, दक्षिण में: रहमत बी की कृषि भूमि। चतुःसीमा सर्वे नंबर 232/2, 232/3, 232/4- पूर्व में: श्रीमती मुन्नी बाई व अयुब खान की कृषि भूमि, पश्चिम में: रहमत बी की कृषि भूमि, उत्तर में: सर्वे नं. 232/1 पर स्थित कृषि भूमि, दक्षिण में: सर्वे नं. 232/5 पर स्थित कृषि भूमि। चतुःसीमा सर्वे नंबर 232/5- पूर्व में: श्रीमती मुन्नी बाई व अयुब खान की कृषि भूमि, पश्चिम में: क्रेता की कृषि भूमि, उत्तर में: सर्वे नंबर 232/4 पर स्थित कृषि भूमि, दक्षिण में: माजिद खान व अन्य की कृषि भूमि	22.85 करोड़	2.29 करोड़
03	शुद्धी- मेसर्स सी. आर. कंठूरचरण प्रोपा. 1. श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 5,16.01 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 19.12.2025, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 23.02.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 03- संपत्तियों के सभी अंग जो स्थित है सर्वे नं. 211/5 (ओपन प्लॉट), पुराना जावर बाघपास रोड, प्रताप नगर के पास, नगर कस्बा रतलाम, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.) क्षेत्रफल : 1.200 हेक्टर चतुःसीमा सर्वे नं. 211/5- पूर्व में: भूमि सर्वे नंबर 215, पश्चिम में: भूमि सर्वे नंबर 217, उत्तर में: भूमि सर्वे नंबर 211, दक्षिण में: प्रस्तावित रोड बहाल भूमि सर्वे नंबर 216	8.16 करोड़	0.82 करोड़
04	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 404.79 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 18.12.2025, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 23.02.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 04- संपत्तियों के सभी अंग जो स्थित है सर्वे नं. 218/1 (ओपन प्लॉट), पुराना जावर बाघपास रोड, प्रताप नगर के पास, नगर कस्बा रतलाम, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) क्षेत्रफल : 1.740 हेक्टर चतुःसीमा सर्वे नंबर 218/1- पूर्व में: भूमि सर्वे नंबर 216, पश्चिम में: भूमि सर्वे नंबर 217, उत्तर में: भूमि सर्वे नंबर 217, दक्षिण में: भूमि सर्वे नंबर 218/2	11.83 करोड़	1.18 करोड़
05	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 404.79 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 18.12.2025, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 23.02.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 05- संपत्तियों के सभी अंग जो स्थित है सर्वे नं. 220/1, 220/3, 220/4 (ओपन प्लॉट), पुराना जावर बाघपास रोड एवं प्रताप नगर के पास, नगर कस्बा रतलाम, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) क्षेत्रफल : 1.790 हेक्टर चतुःसीमा सर्वे नंबर 220/1- पूर्व में: भूमि सर्वे नंबर 220/2, पश्चिम में: रोड, उत्तर में: भूमि सर्वे नंबर 218, दक्षिण में: भूमि सर्वे नंबर 232, चतुःसीमा सर्वे नंबर 220/3- पूर्व में: भूमि सर्वे नंबर 220/5, पश्चिम में: भूमि सर्वे नंबर 220/2 व रोड, उत्तर में: भूमि सर्वे नंबर 218, दक्षिण में: भूमि सर्वे नंबर 220/4, चतुःसीमा सर्वे नंबर 220/4- पूर्व में: भूमि सर्वे नंबर 220/5, पश्चिम में: भूमि सर्वे नंबर 220/2, उत्तर में: भूमि सर्वे नंबर 220/3, दक्षिण में: भूमि सर्वे नंबर 231	12.18 करोड़	1.22 करोड़
06	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 14.01.2026, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 18.03.2026	प्रत्याभूत चल संपत्ति 01- बंधक स्टॉक रॉ मटेरियल/WIP/अर्द्ध विकसित उत्पाद, विकसित उत्पाद, 2) बंधक ग्रस्त देनदारियां (पायपि डी.पी (Drawing Power) 90 दिनों तक के देनदारों (Debtors) के आधार पर ही अनुमति होगा, तथापि समय सीमा की परवाह किए बिना समस्त बुक डेब्ट्स (Book Debts) बैंक की सुरक्षा (Security) के रूप में गिरवी रहेंगे), 3) बंधकग्रस्त प्लॉट व मशीनरी (ऑक्सीजन जनरेशन प्लॉट) एफएफ, ऑफिस इन्फ्रामुमेंट, लैंक आदि जो स्थित प्लॉट नं. 89, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, नैटिप के पास, जिला पार (म.प्र.)	1.74 करोड़	0.17 करोड़
07	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 14.01.2026, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 18.03.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 01 लीज होल्ड औद्योगिक भूमि जो MPIDC (Lessor) द्वारा लीज पर दी गई है एवं प्लॉट नं. 89 पर निर्मित भवन/शेड स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, नैटिप के पास, जिला पार (म.प्र.) संपत्ति स्वामी- एसएमओ केरौरे अलीपस दि. दि. द्वारा श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)। चतुःसीमा सर्वे नंबर 89- पूर्व में: प्लॉट नं. 93, पश्चिम में: रोड, उत्तर में: प्लॉट नं. 88, दक्षिण में: प्लॉट नं. 90	1.94 करोड़	0.19 करोड़
08	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 14.01.2026, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 18.03.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 02 - फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नं. 214/1, पटवारी हल्का नं. 25 कस्बा रतलाम, क्षेत्रफल - 1.930 हेक्टर या 12,000 स्क्. मी. संपत्ति स्वामी : डायरेक्टर श्री सैयद अख्तर अली पिता स्व. श्री वाहिद अली, चतुःसीमा सर्वे नंबर 214/1- पूर्व में: सरकारी कांड, पश्चिम में: सर्वे नं. 211, उत्तर में: कांड एवं सर्वे नं. 213, दक्षिण में: सर्वे नं. 214/2, 214/3, 214/4	6.73 करोड़	0.67 करोड़
09	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 14.01.2026, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 18.03.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 03- फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नं. 214/2, 214/3, 214/4, पटवारी हल्का नं. 25 लोकेशन कस्बा, रतलाम, क्षेत्रफल : 1.930 हेक्टर, संपत्ति स्वामी व जमानतदार : श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली। चतुःसीमा सर्वे नंबर 214/2, 214/3, 214/4- पूर्व में: सरकारी कांड, पश्चिम में: सर्वे नं. 211, उत्तर में: सर्वे नं. 214/1, दक्षिण में: सर्वे नं. 215	6.73 करोड़	0.67 करोड़
10	शुद्धी- मेसर्स एस. ए. इफ्फाटूरचरण, प्रोपा. 1. श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, जमानतदार - श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान, श्री सैयद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैयद मुर्तजा अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद औवेस अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली। मांग सूचना राशि : ₹. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक: 14.01.2026, सांकेतिक कच्चा दिनांक: 18.03.2026	प्रत्याभूत अचल संपत्ति 04 - फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नंबर 220/5/1, बाघपास रोड, वार्ड नं. 29, कस्बा, तहसील, जिला रतलाम (म.प्र.) क्षेत्रफल : 1.845 हेक्टर या 18450 स्क्. मी. संपत्ति स्वामी : डायरेक्टर श्री सैयद अख्तर अली पिता श्री सैयद अख्तर अली, चतुःसीमा सर्वे नंबर 220/5/1- पूर्व में: रोड, पश्चिम में: सर्वे नं. 220/3 व 220/4, उत्तर में: रोड व सर्वे नं. 218/3, दक्षिण में: रोड व सर्वे नं. 231/5	9.65 करोड़	0.97 करोड़

ई-नीलामी की शर्तें :- (1) नीलामी विक्री/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया <https://baanknet.com> वेबसाइट के माध्यम से होगी। (2) बोलीकर्ताओं से निवेदन है कि baanknet पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नियत तिथि से पूर्व करवा लेवे। (3) नीलामी की तिथि और समय 25.06.2026 सुबह 11 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक असीमित 10 मिनटी प्रत्येक ऑटो-एक्स्टेंशन के साथ। (4) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। इच्छुक बोलीकर्ता अपने ऑफर क्र. 50000/- (पचास हजार मात्र) के गुणाकार (multiple) में अपनी राशि बढ़ा सकते हैं। (5) इच्छुक बोलीकर्ता को पोर्टल <https://baanknet.com> पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और अधिक जानकारी हेतु इच्छुक बोलीकर्ता baanknet पर संपर्क करें। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओं को नीलामी की विक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संघर्ष कर में बकाया, विजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पुष्टता करनी होगी। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के एफकेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तारीख पर दाले/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (7) उम्मीद अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बचान या त्रुटि के लिए ज़वाब देह नहीं होगा। (8) इच्छुक बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है वे अधिक विवरण डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट - <https://baanknet.com> भी देखें जहाँ सभी विशिष्ट उपलब्ध है इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले से पूरा करना होगा (अ) बोलीकर्ताओं को मोबाइल नं. तथा मेल आईडी का उपयोग करके E-Auction पर पंजीयन करना होगा, (ब) केवाईडी सत्यापन - बोलीकर्ताओं को अपेक्षित केवाईडी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनका सत्यापन baanknet द्वारा किया जाएगा, (स) ईएमडी राशि को खोलव EMD wallet, Online/Offline, NEFT/Transfer द्वारा जमा करना होगा, (द) इच्छुक बोलीकर्ता उपरोक्त तीनों चरण को पूरा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं। (9) उद्यम/सफल बोलीकर्ता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यथा को विक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीकर्ता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीकर्ता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा और उसे सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाएगा। (10) उद्यम/सफल बोलीकर्ता को विक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25 प्रतिशत विक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंक अधिपति के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जबरन कर ली जाएगी। (11) बोली/खरीद राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्री की पुष्टि के 15 दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) की तिथि तक जमा करनी होगी निधारित अधिपति के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गई राशि को जबरन कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नयी नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। (12) संपूर्ण विक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी विक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसके बाद विक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दायें व बिचार नहीं लेगा। (13) प्राधिकृत अधिकारी उद्यम बोली अध्यापक किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार विक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है। (14) यह प्रकाशन अधिनियम में उपरोक्त उपाचारों/पारदर्शिता/बंधककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है। (15) TDS शासकीय देय राशि, रजिस्ट्रेशन खर्च, स्टाम्प ज्यूटी इत्यादि जो कोई भी राशि नियम अनुसार देय निस्फली है उसका भुगतान क्रेता को करना होगा। नोट : सभी संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 18.06.2026 समय दोप. 12 से 4 बजे तक रहेगी।

दिनांक - 21.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ़ इंडिया, उज्जैन अंचल